


झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
--: अधिसूचना :-

राँची, दिनांक- 5/4/16

संख्या-15/वि०जि०प०-11-11/2014 का. - 2880/ झारखण्ड जिला अधिनियम, 2001 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल विभागीय अधिसूचना संख्या-2149 दिनांक-01.03.2014 द्वारा गुमला जिलान्तर्गत सृजित 'चैनपुर' अनुमंडल में शामिल 'रायडीह' प्रखण्ड को 'गुमला' अनुमण्डल में शामिल करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(निधि खरे)
4.4.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-15/वि०जि०प०-11-11/2014 का. - 2880/राँची, दिनांक:- 5/4/16

प्रतिलिपि-चोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थापना पदाधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली/विधि विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/सर्वे ऑफ इण्डिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा/राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी आरक्षी महानिरीक्षक/सभी उप आरक्षी महानिरीक्षक/सभी जिला आरक्षी अधीक्षक/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि-महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/महालेखाकार, हिन्डू, राँची/पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।
4/4/16